न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर)

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सबलाना

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार यादव R.A.S.

मुकदमा नं0. 35/2016 राजस्व वाद

1– यादराम पुत्र धुन्धल जाति जाटव निवासी ग्राम सबलाना तहसील कामां जिला भरतपुर

वादी

बनाम

1 –कैलाश पुत्र फूंसी

2 रामहेती पुत्र पन्नी

3– रामफल पुत्र मोहरपाल

4– काडू पुत्र मोहरपाल

5– ननुआ पुत्र मोहरपाल

6– पप्पू पुत्र भजल्ली

7– सोनू पुत्र रामहेती जाति जाटव निवासी ग्राम सबलाना तहसील कामां

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act

निर्णय

दिनांक 13 06.2018

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा, 188 के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 2384/0.26 है0, वाके ग्राम सबलाना तहसील कामां की आराजी मुतदाविया वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी हैं जिस पर वादी वहैसियत रिकॉर्ड खातेदार व काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है । मौके पर वादी का कब्जा है । प्रतिवादीगण का वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी मुतदाविया से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । और ना ही इस वक्त है । परन्तु प्रतिवादीगण सरजोर बाने के बदमाश व झगडालू प्रवृति के व्यक्ति होने के कारण जबरदस्ती लट्ट के बल से कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी मुतदाविया पर जबरन कब्जा करने की नीयत से कब्जा करना चाहते हैं । और धमकी देते हैं कि इस जमीन को हमें दें नहीं तो हम तेरी इस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके रहेगें । तुझे इस खेत को जोतने बोने नहीं देंगें । अगर तूने इस खेत को जोत बो दिया तो तुझे इस खेत की फसल नहीं लेने देगें । हम जबरदस्ती काट कर ले जायेगें । यदि प्रतिवादीगण अपने इस इरादे में कामयाब हो गये तो आराजी मुतदाविया के सम्बन्ध में ऐसी अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद या अन्य किसी प्रकार से ना हो सकेगी । प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी मुतदाविया में मजाहमत व मदाखलत नहीं करें वादी को आराजी मुतदाविया से जबरन बेदखल कर

कब्जा नहीं करें । व ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हकूक वादी जायल हो । विधि वजह वादी विरूद्ध प्रतिवादी को डिकी हुक्म इन्तनाई दबामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जा कर दावा की जबाव देही हेतु प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी उपस्थित अदालत नहीं आये। आज राजस्व लोक अदालत नोटिस जारी किये गये उपस्थित नहीं आये । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उपलब्ध दस्तावेजों का मनन किया । प्रकरण अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट का है । तहसीलदार कामां को लिखा जावे कि दोनों पक्षो में उपस्थिति में विवादित खसरा नम्बर 2384 रकवा 0.26 वाके ग्राम सबलाना के पैमायश कर सीमाकंन करना तथा पक्षकारान को हिदायत दी जावे कि अपनी अपनी आराजी पर काबिज रह कर काश्त करना उचित समझते हैं ।

अतः आदेश है कि –

वाद वादी का डिकी किया जाकर तहसीलदार कामां को निर्देर्शित किया जाता है कि दोनों पक्षो की उपस्थिति में विवादित खसरा नम्बर 2384 रकवा 0.26 वाके ग्राम सबलाना तहसील कामां के पैमाइश कर सीमाकंन करावें। तथा पक्षकारान को हिदायत दी जावे कि अपनी अपनी आराजी पर काबिज रह कर काश्त करें । इस आशय की डिकी तैयार कर तहसीलदार कामां को भेजा जावे । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम जी जाकर वाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

(सुरेश कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामां